



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072022-237336
CG-DL-E-18072022-237336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3057]
No. 3057]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2022/आषाढ़ 27, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2022/ASHADHA 27, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2022

का.आ. 3215.(अ)—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1262 तारीख 15 मार्च 2019 और का.आ 1269 तारीख 28 मई 2019 और का.आ 3850 (अ) 26 अक्तूबर 2020 और का.आ. 4062(अ) तारीख 7 अक्तूबर 2020 जो भारत के राजपत्र संख्या 29 तारीख 14-20 जुलाई 2019 और राजपत्र संख्या 3400 तारीख 28 अक्तूबर 2020 और राजपत्र संख्या 3570 तारीख 11 नवम्बर 2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओडिशा राज्य में “पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ प्रॉडक्ट पाइपलाइन पारियोजना”, तहसील- कुजंग, जिला- जगतसिंहपुर में उत्पाद परिवहन के लिए इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 22.11.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थीं,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड					
पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ प्रॉडक्ट पाइपलाईन पारियोजना					
अनुसूची					
तहसील का नाम:- कुजंग		जिला :- जगतसिंहपुर		राज्य :- ओडिशा	
क्र.सं.	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्छ्राबनन्दपुर - 61	141	00	04	50
		140	00	06	82
		138	00	02	46
		118	00	04	60
2.	बिस्वाली - 62	643	00	00	62
		676	00	01	02
		675	00	01	07
		629	00	04	62
		902	00	01	02
		875	00	01	52
		858	00	00	89
		877	00	04	49
		910	00	00	07
		880	00	02	79
		852	00	03	07
		849	00	01	70
		874	00	01	51
		677	00	01	72
		857	00	01	88

		918	00	08	28
		906	00	02	49
		646	00	00	10
		658	00	00	43
		927	00	05	84
		649	00	00	35
		661	00	02	44
		668	00	00	07
		664	00	00	61
		663	00	02	28
		851	00	03	65
		681	00	08	32
		28	00	05	74
		644	00	00	53
		901	00	04	62
		647	00	04	10
		860	00	00	69
		907	00	02	53
		648	00	01	62
		862	00	02	19
		854	00	06	55
		630	00	03	66
		631	00	00	45
		917	00	04	51
		908	00	00	03
		879	00	10	66
		683	00	04	84
		903	00	08	13
		876	00	00	46
		25	00	06	80
		691	00	00	80
		692	00	00	80
		685	00	02	34
		861	00	02	40
3.	जगती - 02	60	00	13	20
4.	सिजु - 250	1	00	06	00

5.	बगदिआ - 16	652	00	13	23
		146	00	12	38
		653	00	13	50
		332	00	06	84
		333	00	07	50
		329	00	00	80
		335	00	00	60
		334	00	12	24
		292	00	03	42
		222	00	09	00
		197	00	12	96
		190	00	07	16
		191	00	02	56
		189	00	10	08
		188	00	04	86
6.	नरेन्द्रपुर - 12	1092	00	06	48
		1065	00	07	20

[फ. सं. आर-11025(11)/2/2019-ओआर-1/ई-29478]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th July, 2022

S.O. 3215.(E)—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 1262 dated 15th March 2019, 1269 dated 28th May 2019, 3850 (E) dated 26th October 2020 and 4062 (E) dated 7th October 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette no. 29 on 14th to 20th July, 2019 and Gazette no. 3400 on 28th October 2020 and Gazette no. 3570 on 11th November 2020 Part- II, Section 3, Sub Section (ii), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Paradip – Somnathpur - Haldia Product Pipeline”, for the transportation of Petroleum Products in Kujang Tahasil of Jagatsinghpur District in the state of Odisha by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 22.11.2020;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government:

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED					
PARADIP-SOMNATHPUR-HALDIA PRODUCT PIPELINE PROJECT					
SCHEDULE					
TAHASIL: KUJANG		DISTRICT : JAGATSINGHPUR		STATE: ODISHA	
S.No.	Name of Village	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	UCHHABANANDAPUR-61	141	00	04	50
		140	00	06	82
		138	00	02	46
		118	00	04	60
2	BISWALI-62	643	00	00	62
		676	00	01	02
		675	00	01	07
		629	00	04	62
		902	00	01	02
		875	00	01	52
		858	00	00	89
		877	00	04	49
		910	00	00	07
		880	00	02	79
		852	00	03	07
		849	00	01	70
		874	00	01	51
		677	00	01	72
		857	00	01	88
		918	00	08	28
		906	00	02	49
		646	00	00	10
		658	00	00	43
		927	00	05	84
		649	00	00	35
		661	00	02	44
		668	00	00	07
		664	00	00	61
		663	00	02	28
		851	00	03	65
		681	00	08	32
		28	00	05	74
		644	00	00	53
		901	00	04	62
		647	00	04	10
		860	00	00	69
		907	00	02	53
		648	00	01	62
		862	00	02	19
		854	00	06	55
		630	00	03	66
		631	00	00	45
		917	00	04	51

		908	00	00	03
		879	00	10	66
		683	00	04	84
		903	00	08	13
		876	00	00	46
		25	00	06	80
		691	00	00	80
		692	00	00	80
		685	00	02	34
		861	00	02	40
3	JAGATI-02	60	00	13	20
4	SIJU-250	1	00	06	00
5	BAGADIA-16	652	00	13	23
		146	00	12	38
		653	00	13	50
		332	00	06	84
		333	00	07	50
		329	00	00	80
		335	00	00	60
		334	00	12	24
		292	00	03	42
		222	00	09	00
		197	00	12	96
		190	00	07	16
		191	00	02	56
		189	00	10	08
		188	00	04	86
6	NARENDRAPUR-12	1092	00	06	48
		1065	00	07	20

[F. No. R-11025(11)/2019-OR-I/E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.